यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

सीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
ान :– विविध प्रकारण संख्या 06/2021

ग्राम पंचायत चुनावढ द्वारा सरपंच निशा रानी पत्नी राजेश कुमार निवासी चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. जगदीश राय पुत्र श्री बोदाराम जाति अरोड़ा निवासी चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. दौलतराम पुत्र श्री बोदाराम जाति अरोड़ा निवासी चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. दिनेश कुमार पुत्र श्री टोपन दास जाति अरोडा निवासी चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. नानक चुघ पुत्र श्री चिमनलाल चुघ निवासी वार्ड नं. 6, किरयाना स्टोर, आनन्द नगर, बिजली बोड के पास, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।
5. अशोक चुघ पुत्र श्री चिमनलाल चुघ निवासी वार्ड नं. 6, किरयाना स्टोर, आनन्द नगर, बिजली बोड के पास, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थिति ::–

1. सुभाष मिढढा अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता – – अप्रार्थी संख्या 2 व 3

अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 03.04.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीया ग्राम पंचायत चुनावढ़ के निर्वाचित सरपंच है तथा आवादी चूनावढ़ के लिए शमशान की भूमि चक 25 जी०जी० तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 10 व 11 में है। जब से आबादी हुई है तब से उक्त शमशान के लिए मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 21 व 25 प्रत्येक बीघा में डेढ़–डेढ़ बिस्वा रास्ता चलता आ रहा है, जो कि इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग शमशान भूमि में शवों को ले जाने के लिए होता आ रहा है। चक 25 जी०जी० तहसील श्रीगंगानगर के खात संख्या 35/24 मुरब्बा नं. 14 के 7 बीघा, मुरब्बा नं. 36 के 23 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम से है तथा बहनों द्वारा अपना हक व हिस्सा अप्रार्थीगण के पक्ष में छोड़ा हुआ है इसलिए उक्त तमाम भूमि के मालिक अप्रार्थीगण है। उक्त रास्ता को चलते हुये लगभग 50–55 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत ना होकर अप्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि मुरब्बा नं. 36 होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा कई बार

Scanned with CamScanner

[illegible] रास्ता [illegible] प्रार्थीया [illegible] अप्रार्थीगण [illegible] रास्ता [illegible] प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन है कि [illegible] 25 [illegible] मुनावद के [illegible] 36/24 के मुरब्बा नं. 36 के किला नं. 21 व 25 [illegible] रास्ता [illegible] स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार [illegible] राकेश कुमार की पत्नी है व निर्विवाद खातेदार है। गांव मुनावद में [illegible] पुराना [illegible] हुआ है। मुरब्बा नम्बर-36 किला नम्बर - 10 व 11 में आबादी भूमि नहीं है बल्कि अप्रार्थी के किला न किला नम्बर - 10 व 11 में [illegible] के लिए [illegible] मौके पर किला नम्बर - 20 व 21 में करीब 8 फुट रास्ता अप्रार्थी के [illegible] के लिए [illegible] के लिए [illegible] रास्ता छोड़ा हुआ था। यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थी ने कोई रास्ता नहीं [illegible]। मुरब्बा नम्बर-36 संयुक्त खाता है। संयुक्त खाता में सभी का बराबर का हक व हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें सभी सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया क्योंकि मुरब्बा नम्बर- 36 किला नम्बर- 20,21 में [illegible], कालो बाई, [illegible], [illegible] के नाम जमाबन्दी में रकबा दर्ज है। [illegible] का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या-3 जिस तरह से दर्ज की गयी है स्वीकार नहीं है क्योंकि 8 फुट किला नम्बर-20 व 21 में जो रास्ता बता रहा है वह अप्रार्थी के [illegible] में व [illegible] में आता है तथा मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर-14 में अप्रार्थीगण की [illegible] में आता है [illegible] नहीं हुई है। अप्रार्थीगण वादी ने भी इसी रास्ते से जाते है। प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने [illegible] रास्ते में कोई रुकावट डाली हो, लकड़िया डाली हो, तार से बाधा उत्पन्न की गयी हो [illegible] प्रार्थी द्वारा जान बूझकर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि इससे पहले कई [illegible]

[illegible] (राजस्व)
[illegible]

Scanned with CamScanner

सरपंच बन चुके है किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अप्रार्थी रास्ते में कोई रूकावट कर रहा है। अप्रार्थीयान द्वारा आज तक इस रास्ते में कोई रूकावट पैदा नहीं की, ना ही कोई झगड़ा किया है और ना ही किसी आदमी ने आकर कहा हो, महज दरखास्त को [illegible] के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही पार्थी पहले रास्ता में अवरोध पैदा किया है और ना ही आयंदा कोई अवरोध पैदा करेगा। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थी से रास्ते के सम्बन्ध में कोई बात नहीं की, जब बात ही नहीं की तो टाल मटौल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । अतिरिक्त कथन– 1. यह कि प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा सभी सह – काश्तकारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सहकाश्तकारों का प्रत्येक बिघे पर इनका अधिकार है। पक्षकार ना बनाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है. यदि किसी कारणवश रास्ता मन्जूर किया जाता है तो मार्केट रेट की कीमत वसूली जावे। इस जमीन के सम्बन्ध में इस जमीन के बंटवारे को लेकर आपसी में विवाद चल रहा है जिसमें [illegible] आदेश जारी किया हुआ है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया गांव की सरपंच है। यह कहना गलत है कि 25 जीजी के मुरब्बा नम्बर–36 के किला नम्बर– 10, 11 में श्मशान की भूमि है बल्कि मु.नं. 36 में 25 बीघा भूमि अप्रार्थी के दादा बोदाराम पुत्र खिला राम को भारत सरकार द्वारा अलाट की गयी थी तथा राजस्व रिकार्ड में भी रकबा अप्रार्थी के दादा के नाम दर्ज किया गया। दादा के मरने के बाद जमीन अप्रार्थी तथा कैलाश रानी, काली बाई, जगदीश, दिनेश, [illegible] के नाम दर्ज की गयी। यह कहना गलत है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी के नाम कोई जमीन नहीं है ना ही वह जमीन का खातेदार है जब उसके नाम कोई जनीन नहीं है तो उसे रास्ते की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है । धारा 251 (क) का प्रार्थना पत्र में वही व्यक्ति रास्ता मांग सकता है जिसके नाम जमीन हो क्योंकि प्रार्थीया के नाम कोई जमीन नहीं है इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारी ना होने पर प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। 2 दरखास्त की मद संख्या – 2 स्वीकार है कि 25 जीजी खाता संख्या–34 / 24 मुरब्बा नम्बर–14 के 7 बीघा, मु.नं.36 के 25 बीघा रकबा है जो अप्रार्थीयों के नाम है लेकिन प्रार्थी द्वारा सभी सहकाश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी का मु.नं. 36 में अपने खेत में जाने के लिए अपना घरू तौर पर रास्ता बना रखा है जो आम रास्ता नहीं है। यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थीयान द्वारा अपने जमीन में जाने वाले रास्ता में कोई रूकावट उत्पन्न की है ना ही कोई बंधवार की है क्योंकि अप्रार्थी का अपने खेत में जाने के लिए रास्ता है। अप्रार्थीयान द्वारा किसी प्रकार का कोई झगड़ा आदि नहीं किया, ना ही अप्रार्थीयान के खिलाफ कोई मुकदमा है । अप्रार्थीयान के निजी रास्ता को पंचायत का रास्ता बनाने का कोई अधिकार नही है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कोई रास्ते की मांग नहीं की है ना ही प्रार्थीया, अप्रार्थी से कभी मिली। अतिरिक्त कथन– प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि मु.नं.36 में कोई श्मशान भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो, जब कोई राजस्व रिकार्ड में श्मशान भूमि दर्ज नहीं है तो रास्ता देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र खातेदार ही प्रस्तुत कर सकता है और प्रार्थया खातेदार नहीं है इसलिए प्रार्थीया को धारा 251(क) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है इसलिए भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । प्रार्थीया द्वारा जो दिनांक 01.01.2021 को प्रस्ताव रास्ते के सम्बन्ध में पारित किया है उसे अप्रार्थीयान को बिना सुने पारित किया है इसलिए भी प्रार्थीया

[illegible]
अधिकारी (राजस्व)
[illegible]गानगर

ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 के जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय र्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र ा अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया या। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की रा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर ार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में कृषक को उसकी ि भूमि में आने जाने एवम् कृषि कार्य करने हेतु रास्ता स्वीकार किया जाता है, प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि नहीं है, जिससे प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की ा 251ए में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु पात्रता नहीं रखता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया तोषिक रास्ता आगे किसी भी रास्ता से जुड़ाव नहीं रखता है एवं उससे आगे जोहड़ तन की भूमि है जिस पर आबादी बसी हुई है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी. खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार रहे। निर्णय आज दिंनाक 03.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner